न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

अपील संख्या :– 26/2019

सोहनलाल पुत्र गोरधन उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी बीलवाडी तहसील तहसील विराटनगर जयपुर राज0

बनाम अपीलान्ट

1. रूडमल पुत्र गोरधनलाल उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर।
2. उप पंजीयक विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 938 दिनांक 18.05.2015 ग्राम बीलवाडी, पटवार हल्का बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान को शुन्य किये जाने बाबत।

निर्णय

दिनांक 22.10.19

नामान्तरण संख्या 938 दिनांक 18.05.2015 ग्राम बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर से व्यथित होकर उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश की है जो निम्मन प्रकार पेश है।

1. यह अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 आपस मे सगे भाई है। दोनो भाइयों ने हाल खसरा नम्बर 969/0.05, 970/0.11, 995/0.10, 1004/0.14, 1005/0.04, 1007/0.13, 1008/0.12, 1009/0.24, 1010/0.23, 1011/0.24, 1012/0.44, कुल किता 11 रकबा 1.84 है. को पूर्व खातेदार उनके हक हिस्से व खातेदारी की भूमि को दिनांक 15.03.82 को छीतरसिंह वगैरह से खरीद लिया था इसी प्रकार इसी जमीन का दूसरा हिस्सा दूसरे खातेदार रणजीत वगैरह जाति राजपूत निवासी बीलवाडी से तहसील विराटनगर से दिनांक 12.07.1982 को साबिक खसरा नम्बरान से खरीद की थी जिसके हाल खसरा नम्बरान उपरोक्तानुसार है। इस प्रकार उक्त हाल खसरा नम्बरान मे अपीलार्थी व प्रत्यर्थी का खरीदशुदा रकबा 1/2 – 1/2 उनकी खातेदारी मे दर्ज था। बटवारा से पूर्व तथा जमाबंदी राजस्व रिकार्ड मे हिस्सा 1/2 – 1/2 दर्ज चला आ रहा है और इसी प्रकार उक्त भूमि को खरीद किये जाने की दिनांक से लेकर आज दिनांक तक काबिज काश्त है।
2. यह कि अपीलार्थी एक अनपढ व्यक्ति है अपीलार्थी व प्रत्यर्थी ने उक्त आराजी का हिस्से अनुसार राजस्व कैम्प बीलवाडी मे दिनांक 18.05.2015 को बटवारा कराने की सहमति व्यक्त की थी उक्त समय पटवारी हल्का ने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। बाद मे प्रत्यर्थी संख्या 1 पटवारी हल्का से मिलकर गुप चुप मे अपीलार्थी की उक्त आराजी मे स्थित 1/2 हिस्से की 0.92 है. भूमि से कम भूमि 0.68 है. बटवारे मे अंकित कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दी तथा अपीलान्ट की 0.24 है. भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना अपीलार्थी की सहममि के प्रत्यर्थी संख्या 1 के रकबे मे जोडकर उसका 1/2 से ज्यादा बडा रकबा बना दिया गया और अपीलार्थी का रकबा कम कर दिया गया इसके

जिला कलक्टर

अलावा अपीलार्थी के जो खरीद किये जाने के बाद से लेकर आज तक मौके पर कब्जे काश्त रहे हाल खसरा नम्बर जो 969/0.05 एवं 1008/0.12, 1007/0.13 मुख्य सडक से लगते हुए थे उसको बिना किसी हक एवं अधिकार के अपीलार्थी की खातेदारी खत्म करते हुए प्रत्यर्थी के खाते मे गलत रूप से उक्त नामान्तरण संख्या के द्वारा अंकित कर दी इस कारण उक्त नामान्तरण को निरस्त फरमाया जाना आवश्यक है।

3. यह है कि पटवारी हल्का ने प्रत्यर्थी से मिलकर अपीलार्थी की अगूंठा निशानी खाली कागज पर करवाकर मनचाहा बटवारा लिखकर अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा 0.92 है. बनता था उसकी जगह रकबा 0.68 है. दे दिया और अपीलार्थी का 0.24 है. रकबा कम कर दिया एवं बटवारे मे मुख्य सडक पर खसरा नम्बर 969/0.05 एवं 1008/0.12, 1007/0.13 उक्त नम्बर मुख्य सडक पर बटवारे मे और लिख लिए इस प्रकार अपीलार्थी के साथ अन्यायपूर्ण कृत्य किया है। जिससे अपीलार्थी पीडित हुआ है। जबकि बटवारे मे 969 मे भी अपीलार्थी का हिस्सा 1/2 होना चाहिए और मुख्य सडक पर खसरा नम्बर 1007 पर शुरू से ही अपीलार्थी काबिज रहा है और आज भी काबिज है। इसलिए उक्त बटवारे से नामान्तरण संख्या 938 को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

4. यह है कि अपीलार्थी ने दिनांक 02.04.2019 को राज कार्य के लिए जमाबंदी निकलवाई तब इस बात की जानकारी हुई कि उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 218 के खसरा नम्बर970/0.11, 1011/0.01 कुल किता 2 रकबा 0.12 है. खाता संख्या 295 के खसरा नम्बर 995/0.10, 1004/0.14, 1005/0.04, 1010/0.10, 1012/1/0.24 कुल किता 5 कुल रकबा 0.62 है. इस प्रकार उसके पास कुल भूमि 68 ऐयर ही बटवारे के बाद राजस्व रिकार्ड मे उक्त नामान्तरण संख्या के द्वारा अंकित की गई है जबकि के.सी.सी. कार्ड खाता संख्या 218 कुल किता 11 रकबा 1.84 है. हिस्सा 1/2 से बना हुआ है एवं 1/2 मे ही अपीलार्थी अपनी भूमि मे कब्जे काश्त मे है।

5. यह है कि अपीलार्थी एक अनपढ व्यक्ति है। उसने बटवारा जरूर चाहा था लेकिन प्रत्यर्थी व पटवारी हल्का ने मिलकर अपीलार्थी का खरीदशुदा रकबा कम कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 969, 1007 मुख्य सडक पर प्रत्यर्थी द्वारा ज्यादा लेने पर अपीलार्थी पीडित होने से उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

6. यह है कि प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 938 प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा राजस्व कैम्प बीलवाडी मे दिनांक 18.05.2015 को भरा जाकर स्वीकार गया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त है। इसलिए प्रस्तुत अपील श्रीमान के समक्ष पेश है। अपीलार्थी अनपढ होने से दिनांक 02.04.2019 से पूर्व मे नामान्तरण की जानकारी नही हुई। अब जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद पेश है। फिर भी कानूनी पूर्ति हेतु धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश किया जा रहा है।

7. यह है कि प्रस्तुत अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे है। अतः अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 938 दिनांक 18.05.15 राजस्व ग्राम बीलवाडी तहसील विराटनगर मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि नामान्तरण को शुन्य फरमाया जावे और उक्त नामान्तरण से पूर्व अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी का राजस्व रिकार्ड यथावत रखा जावे।

8. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई। रिपोर्ट समात पाई जाने पर नियमानुसार रेस्पोडेंट की तलवी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये। बाद तामील सम्मन नोटिस सलग्न पत्रावली किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 की

कलक्टर

ओर से श्री आनन्दसिंह शेखावत एड. उपस्थित आकर जबाव अपील एवं जबाव प्रार्थना पत्र दफा 5 अधिनियम पेश किया जिसे सलग्न पत्रावली किया गया।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाव मे वर्णित किया है कि उक्त अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है। अपील मे वर्णित विवादित खसरा नम्बरान खरीदशुदा है उक्त आराजी का राजस्व कैम्प बीलवाडी मे अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या1 की आपसी सहमति से बटवारा हुआ है। मौके पर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट का कब्जा आज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी अनुसार ही है। अपीलार्थी की पूर्ण सहमति के बाद मौके पर भूमि का विभाजन अपीलार्थी स्वयं द्वारा करवाये जाने के पश्चात मौके की स्थिति के अनुसार ही सहमति से बटवारा किया गया है। उक्त नामान्तरण संख्या 938 को तस्दीक किये जाने मे किसी प्रकार की भूल नही की है। अपीलान्ट द्वारा राजकार्य हेतु नकल निकलवाना अंकित किया है वह गलत एवं अस्वीकार है। केवल अपील को अन्दर मियाद बनाये जाने के उदेश्य से मनगढन्त तथ्यों का सहारा लिया है। जहां तक के सी.सी. सी. कार्ड बने होने की बात है बटवारे के बाद 1/2 भूमि के हिसाब से के.सी.सी कार्ड नही बना बल्कि बटवारे से पहले का कार्ड बना हुआ है। के.सी.सी कार्ड का नामान्तरण से कोई संबंध नही है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तरण की शुरू से ही जानकारी रही है। दिनांक 02.04.19 को नामान्तरण की जानकारी होने वाला कथन मिथ्या एवं बनावटी है। अपील विधि के प्रावधानों के विपरीत पेश की है जो सरसरी तौर पर ही खारिज होने योग्य है। इसके अलावा रेस्पोडेंट ने अपने प्रस्तुत जबाव मे विशेष कथन मे अंकित किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेट आपसी सहमति एवं व्यवहार से अपीलार्थी ने भूमि खरीदते समय ही भूमि की लागत कम दी थी जिससे आरम्भ से ही अपीलार्थी के पास भूमि कम थी। अपीलार्थी ने अपने जीजा गुलाबचन्द एवं बहिन चन्दी की उपस्थिति मे जमीन को मौके पर नाप जोख कर भूमि का बटवारा किया था उसके बाद सहमति से अभियान मे बटवारे के हिसाब से बटवारा कराया था जिसकी जानकारी अपीलार्थी को आरम्भ से ही जानकारी रही है। उक्त नामान्तरण आपसी सहमति से हुए बटवारे 18.05.2015 की पालना मे तस्दीक किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कमी नही रही है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील, अपील के प्रावधानो के विपरीत पेश की है जो अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाव अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने की कृपा करे।

10. बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील मिमो के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित विवादित खसरा नम्बरान को पूर्व खातेदार उनके हक हिस्से व खातेदारी की भूमि छीतरसिंह वगैरह से दिनांक 15.03.82 को एवं इसी जमीन का दूसरा हिस्सा दूसरे खातेदार रणजीत वगैरह से दिनांक 12.07.82 को साबिक खसरा नम्बरान से अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा खरीद की थी जिसमे हाल खसरा नम्बरान अपील मे उपरोक्तानुसार वर्णित है। इसी प्रकार हाल खसरा नम्बरान मे अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की खरीदशुदा रकबा मे 1/2 – 1/2 खातेदारी दर्ज थी। बटवारा से पूर्व तथा जमाबंदी राजस्व रिकार्ड मे हिस्सा 1/2 – 1/2 दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि को खरीद किये जाने से लेकर आज तक काबिज काश्त है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी दोनो भाइयों ने राजस्व कैम्प बीलवाडी मे बटवारा कराने की सहमति व्यक्ति की थी उस समय पटवारी हल्का ने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 के खाली कागचो पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। बाद मे प्रत्यर्थी संख्या 1 पटवारी हल्का से मिलकर अपीलार्थी की भूमि 1/2 हिस्से की 0.92 है. को कम कर केवल 0.68 है. भूमि बटवारे मे अंकित कर दी तथा अपीलान्ट की 0.24 है. भूमि को बिना अपीलान्ट की सहमति एवं बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रत्यर्थी संख्या 1 के हिस्से 1/2 मे जमादा जोड कर प्रत्यर्थी संख्या 1 का बडा रकबा बना दिया गया और अपीलार्थी का

(जयपुर)

रकबा कम कर दिया गया इसके अलावा खसरा नम्बरान 969/0.05, 1008/0.12, 1007/0.13 जो मुख्य सडक से लगते हुए थे उसको बिना हक एवं अधिकार के प्रत्यर्थी संख्या 1 के खाते मे गलत रूप से उक्त नामान्तरण संख्या 938 के द्वारा अंकित कर दी। अपीलार्थी ने 02.04.19 को जमाबंदी निकलवाई तब जानकारी हुई कि उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 218 के खसरा नम्बर 970/0.11, 1011/0.01 कुल किता 2 रकबा 0.12 है, खाता संख्या 295 मे खसरा नम्बर 995/0.10, 1004/0.14, 1005/0.04, 1010/0.10, 1012/1/0.24 कुल किता 5 कुल रकबा 0.62 है, इस प्रकार उसके पास कुल 68 ऐयर भूमि है। राजस्व रिकार्ड मे बटवारे के बाद अंकित की गई है जबकि के.सी.सी कार्ड खाता संख्या 218 कुल किता 11 रकबा 1.84 है, हिस्सा 1/2 से बना हुआ है एवं 1/2 मे ही अपीलान्ट अपनी भूमि मे कब्जे काश्त है। अपीलार्थी एक अनपढ व्यकित है बटवारा जरूर चाहा था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 पटवारी हल्का से मिलकर अपीलार्थी का खरीदशुदा रकबा कम कर दिया तथा राजस्व कैम्प बीलवाडी मे दिनांक 18.05.2015 को उक्त नामान्तरण भरा गया। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त नामान्तरण संख्या 938 दिनांक 18.05.15 को निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तरण से पूर्व का राजस्व रिकार्ड अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी का यथावत रखा जावे।

11. वकील ने अपनी बहस मे प्रस्तुत जबाव के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित खसरा नम्बरान खरीदशुदा है। उक्त खसरा नम्बरान का राजस्व कैम्प बीलवाडी मे आपसी सहमति से अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य बटवारा हुआ है। मौके पर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट का कब्जा आज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी अनुसार है। अपीलार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश कर उक्त नामान्तरण को खारिज कराना चाहता है। जबकि उक्त नामान्तरण को तस्दीक करने मे किसी प्रकार की भूल नही की गई है। जहां तक के.सी.सी कार्ड बने होने की बात है बटवारे के बाद 1/2 भूमि के हिसाब मे के.सी.सी नही बना बल्कि बटवारे के पहले का कार्ड बना हुआ है। उक्त के.सी.सी कार्ड का बटवारे से कोई संबंध नही है। अपीलान्ट ने दिनांक 02.04.19 को उक्त नामान्तरण की जानकारी होना बताया है। यह कथन मिथ्या एवं बनावटी है। उक्त अपील विधि के प्रावधानों के विपरीत पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा वकील रेस्पोडेंट ने जबाव के विशेष कथनो को भी बहस मे दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने भूमि खरीदते समय ही भूमि की लागत कम दी थी। जिससे आरम्भ से अपीलान्ट के पास भूमि कम थी। अपीलान्ट द्वारा अपने जीजा एवं बहिन की उपस्थिति मे मौके पर नाप जोख कर भूमि का बटवारा किया था उसके बाद सहमति से ही राजस्व अभियान मे बटवारे के हिसाब से बटवारा कराया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही रही है। उक्त नामान्तरण आपसी सहमति से हुआ बटवारा 18.05.2015 की पालना मे तस्दीक किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कमी नही रही है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील, अपील के प्रावधानो के विपरीत पेश की गई है। जो अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील हर्जे–खर्चे खारिज फरमावे।

12. वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्यों का अवलोकन किया, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रकरण मे बटवारा दिनांक 18.05.15 को तस्दीक हुआ है तस्दीकशुदा बटवारा के आधारा पर दिनांक 18.05.15 को पटवारी हल्का बीलवाडी द्वारा नामान्तरण संख्या 938 भरा गया है। जो राजस्व लोक अदालत बीलवाडी अभियान मे रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं जांच भू.अ.निरीक्षक के आधार पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 18.05.15 को स्वीकार किया होना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि उक्त विवादित

खसरा नम्बरान अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की खरीदशुदा भूमि है जिसमे अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 बराबर 1/2 – 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 दोनो भाइयों ने बटवारा कराने की सहमति व्यक्त करने पर पटवारी हल्का ने खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिए थे बाद मे प्रत्यर्थी संख्या 1 पटवारी हल्का से मिलकर अपीलार्थी की 1/2 हिस्से की 0.92 है. भूमि को कम कर केवल 0.68 है. भूमि बटवारे मे कम कर दी। अपीलान्ट की 0.24 है. भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के हिस्से मे बिना सहमति के एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अधिक जोड कर हिस्सा 1/2 से अधिक का रकबा बना दिया गया यानि अपीलान्ट का हिस्सा कम एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 का हिस्सा रकबा अधिक कर दिया इसके अलावा खसरा नम्बर 969/0.05 , 1008/0.12, 1007/0.13 जो मुख्य सडक से लगते हुए थे उनको प्रत्यर्थी संख्या 1 के खाते मे गलत रूप से उक्त नामान्तरण संख्या 938 के द्वारा अंकित कर दिया। अपीलान्ट को दिनांक 02.04.19 को जमाबंदी की नकल निकलवाई तब जानकारी हुई कि उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि उसके पास कुल 68 ऐयर भूमि है जो राजस्व रिकार्ड मे बटवारे के बाद अंकित की गई है। जबकि के.सी. सी. कार्ड खाता संख्या 218 कुल किता 11 रकबा 1.84 है. हिस्सा 1/2 से बना हुआ है एवं 1/2 हिस्से मे ही अपीलान्ट अपनी भूमि मे कब्जे काश्त है। अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति होने का फायदा उठाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 पटवारी हल्का से मिलकर खरीदशुदा भूमि का रकबा अपीलान्ट का कम कर दिया तथा नामान्तरण संख्या 938 दिनांक 18.05.15 राजस्व अभियान मे तस्दीक करा दिया। वकील रेस्पोडेंट का बहस मे कथन है कि उक्त विवादित खसरा नम्बरान का राजस्व कैम्प बीलवाडी मे आपसी सहमति से अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य बटवारा हुआ है। मौके पर कब्जा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अनुसार है। जहां तक के.सी.सी. कार्ड बने होने की बात है बटवारे के बाद 1/2 भूमि के हिसाब से के.सी.सी. कार्ड नही बना है बल्कि बटवारे के पहले का कार्ड बना हुआ है इसके अलावा रेस्पोडेंट का यह भी कथन है कि भूमि खरीदते समय अपीलान्ट ने भूमि की लागत कम दी थी। अपीलान्ट के पास शुरू से ही भूमि कम थी। अपनी बहिन एवं जीजा की उपस्थिति मे नाप जोख कर बटवारा किया था उक्त बटवारे के हिसाब से ही सहमति से राजस्व अभियान मे बटवारा दिनांक 18.05.15 को किया था। उक्त बटवारे की पालना मे नामान्तरण संख्या 938 दिनांक 18.05.19 स्वीकार हुआ है। जिसकी जानकारी 02.04.19 को होना बताया है। यह कथन मिथ्या एवं बनावटी है। अतः उक्त अपील, अपील के प्रावधानो के विपरीत पेश की है। इसे खारिज फरमावे। चूंकि अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 सगे दोनो भाईयों ने उक्त विवादित भूमि को खरीद किया है इसके पश्चात राजस्व रिकार्ड मे बराबर–बराबर हिस्सा 1/2 – 1/2 पर काबिज काश्त रहे है तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का 1/2 हिस्से का के.सी.सी कार्ड भी बना हुआ है। सहमति से अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बटवारा किया है उसमे अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 रकबा 0.92 है. बनता है केवल मात्र 0.68 है. भूमि ही अपीलान्ट के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना पाया गया तथा 0.24 है. भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से मे अधिक जोडकर रेस्पोडेंट का हिस्सा 1/2 से अधिक का रकबा बना दिया यानि अपीलान्ट का हिस्सा कम एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 का हिस्सा रकबा अधिक कर दिया। 0.24 है. भूमि अधिक रेस्पोडेंट संख्या 1 के खाते मे अंकन करना न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है। तहसीलदार द्वारा इस बाबत कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट होना अवगत नही कराया है। सहमति बटवारे मे बटवारा प्रस्ताव बनाते समय लगभग दो–चार ऐयर भूमि किस्म, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है जबकि उक्त बटवारे मे तो लगभग एक बीघा भूमि रेस्पोडेंट के अधिक बटवारे मे गई है। वकील रेस्पोडेंट का

कथन था कि उक्त भूमि को खरीदते समय भूमि लागत अपीलान्ट ने कम दी थी मात्र यह कहने से बटवारे मे भूमि को कम या अधिक करना उचित प्रतीत नही होता है। इसलिए उक्त नामान्तरण 938 दिनांक 18.05.15 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

13. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा बटवारा आदेश एवं नामान्तरण संख्या 938 दिनांक 18.05.15 वाकेग्राम बोलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार विराटनगर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मुताबिक हिस्सा अनुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

14. यह निर्णय आज दिनांक 22.10.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)